(60)

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

अज अदालतः— सुभाष हेमानी (R TS)

प्रकरण सख्या :—60 / 2018

निर्णय दिनांक 28.08.2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी		नारायणनाथ पुत्र किशननाथ कालबेलिया
पटवार मण्डल रिड़		निवासी रिड़

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रिड. ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम रिड. के खसरा नम्बर 257 . में किस्म गै. मु. रास्ता मेंसे रकबा 0.0301 हेक्ट. भूमि में बाड. व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नारायणनाथ से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री— ने दिनांक. —को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवमं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम रिड के खसरा नम्बर 257 .में किस्म गै. मु. रास्ता . मेंसे रकबा 0.0301 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0301 हेक्ट. भूमि के 0.1806 रूपये लगान का 50 गुणा 9 /— अक्षरे नो रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर